भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4099

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

जल संरक्षण

4099. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न राज्य सरकारों को कोई तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के इस अनुमान का संज्ञान लिया है कि आने वाले समय में देश के 11 प्रमुख शहरों में पेयजल की कमी होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा देश में पानी की कमी को दूर करने और सतत भू-जल प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार की पानी की कमी के मुद्दे के संबंध में राज्य-विशिष्ट नीति तैयार करने की कोई योजना है क्योंकि जल वितरण विभिन्न राज्यों में एकसमान नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में जल संसाधनों के परिक्षण और संरक्षण के लिए अन्य क्या ठोस उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री **श्री राज भूषण चौधरी**

(क) से (ड़): जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधन का संवर्धन, संरक्षण एवं कुशल प्रबंधन के उपाय प्रमुख रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों को तकनीकी और वितीय सहायता प्रदान करती है।

किसी क्षेत्र अथवा देश की औसत वार्षिक जल उपलब्धता अधिकांशत: जल-मौसम विज्ञान और भूवैज्ञानिक कारकों पर निर्भर करती है। हालांकि, प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता देश की आबादी पर निर्भर होती है और भारत में जनसंख्या में होने वाली बढ़ोत्तरी के कारण देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में कमी आ रही है। किसी क्षेत्र में वर्षा का अस्थायी स्थिति और स्थानिक भिन्नता के कारण जल उपलब्धता के कारण जल की कमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

भारत सरकार ने देश भर में जल संरक्षण, स्थायी भूजल प्रबंधन, भूजल स्तर में सुधार और पानी की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न पहल/कदम उठाए हैं, जिनका विवरण निम्नवत है:

भारत सरकार ने समुदायों के नेतृत्व में सतत भूजल प्रबंधन करते हुए भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के उद्देश्य से सात राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के 229 ब्लॉकों के अंतर्गत 8203 ग्राम पंचायतों में चिन्हित जल की कमी वाले क्षेत्रों में 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली अटल भूजल योजना को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना को दिनांक 01.04.2020 से 6 वर्षों की अवधि तक कार्यान्वित किया जा रहा है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

सीजीडब्ल्यूबी ने भूजल प्रबंधन एवं विनियमन योजना के अंतर्गत जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। जलभृत मानचित्रण का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के साथ जलभृत/विशेष भूजल प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए जलभृत का निरूपण और उनके लक्षणों को वर्णित करना है। देश के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के संपूर्ण मानचित्रण योग्य क्षेत्र में जलभृत मानचित्रण पूरा कर लिया गया है। प्रबंधन योजनाएं तैयार करके इन्हें संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।

मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल विकास के विनियमन हेतु उपयुक्त भूजल विधान अधिनियमित करने में सक्षम बनाने के लिए एक माडल बिल परिचालित किया है जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने भवन विनिर्माण उप-नियम 2016 जारी किया है जिसमें 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक आकार वाले सभी प्रकार के भवनों में वर्षा जल संचयन की सिफारिश की गई है।

वर्ष 2019 में देश में जल की कमी वाले 256 जिलों में जल शक्ति **अभियान-I** संचालित किया गया था और वर्ष 2021 में "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (जेएसए:सीटीआर) के रूप में इसका विस्तार किया गया था, जिसका शीर्ष "कैच द रेन - व्हेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स" था ताकि देश भर के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों) के सभी ब्लॉकों को कवर किया जा सके। "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (जेएसए:सीटीआर) -2024 अभियान, जल शक्ति अभियान श्रृंखला का पांचवां संस्करण है जिसकी शुरूआत 9 मार्च, 2024 को की गई थी। यह अभियान जल संरक्षण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए "नारी शक्ति से जल शक्ति" थीम के अंतर्गत देश के सभी ग्रामीण और शहरी जिलों को कवर करता है। अभियान के केंद्रित कार्यकलापों में (i) जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, (ii) सभी जल निकायों की गणना, जियो-टैगिंग और सूची तैयार करना, (iii) जल संरक्षण की वैज्ञानिक योजनाएं तैयार करना और इसके आधार पर सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों को स्थापित करना (iv) सघन वनरोपण और (v) जागरूकता पैदा करना शामिल हैं।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एक अम्ब्रैला योजना है, जिसमें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख घटक शामिल हैं, अर्थात् त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)। जबकि

हर खेत को पानी के चार उप-घटक होते हैं: (i) कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन; (ii) सतही सुक्ष्म सिंचाई (एसएमआई); (iii) जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार (आरआरआर); और (iv) भूजल (जीडब्ल्यू) विकास। वर्ष 2016 में, संशोधित एआईबीपी प्रारूप के आरंभ के साथ, एचकेकेपी के सीएडी और डब्ल्यूएम उप-घटक को एआईबीपी के साथ परी पासु कार्यान्वयन के लिए लिया गया है। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष में पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के लिए जारी केंद्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

भारत सरकार, राज्यों के साथ साझेदारी में, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल को लागू कर रही है ताकि वर्ष 2024 तक 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के सेवा स्तर पर देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को निर्धारित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके।

मिशन अमृत सरोवर को 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भविष्य के लिए पानी का संरक्षण करना था। मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में जल निकायों का विकास और कायाकल्प संरक्षण करना है।

भारत सरकार ने 25 जून, 2015 को देश भर के चुनिंदा 500 शहरों और कस्बों में अटल नवीकारण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) शुरू किया है। जल आपूर्ति घटक में नई जल आपूर्ति प्रणाली का संवर्धन और पुनर्वास शामिल है; (ii) पेयजल आपूत के लिए जल निकायों का पुनरूद्धार और जल गुणवत्ता समस्या वाले शहरों सहित दुर्गम क्षेत्रों, पर्वतीय और तटीय शहरों के लिए विशेष जलापूर्ती व्यवस्था।

अमृत 2.0 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत 189458.55 करोड़ रुपये की 8998 परियोजनाओं के लिए राज्य जल कार्य योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 114073.65 करोड़ रुपये की 3596 जल आपूर्ति परियोजनाएं शामिल हैं।

भारत सरकार ने अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल अंतरण करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने की एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) ने नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना के अंतर्गत व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 30 लिंकों (प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14) की पहचान की है।

जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा जल संरक्षण, भूजल के नियंत्रण और विनियमन के लिए और वर्षा जल संचयन/कृत्रिम पुनर्भरण/जल उपयोग दक्षता आदि को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों को यूआरएल पर देखा जा सकता है:

https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3a70dc40477bc2adceef4d2c90f47eb82/uploads/2024/07/20240716706354487.pdf

*****

अनुलग्नक-I

"जल संरक्षण" के संबंध में दिनांक 19.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4099 के भाग (क)से (ड़) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

अटल भूजल योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है:

(दिनांक 12.12.2024 तक राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य**	**अटल भूजल योजना के अंतर्गत जारी धनराशि**
1	गुजरात	522.28
2	हरियाणा	729.50
3	कर्नाटक	819.51
4	मध्य प्रदेश	180.97
5	महाराष्ट्र	506.61
6	राजस्थान	389.53
7	उत्तर प्रदेश	198.53
कुल		**3,346.93**

<u>अनुलग्नक-II</u>

"जल संरक्षण" के संबंध में दिनांक 19.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4099 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क. वर्ष 2019-20 से 2023-24 और मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत जारी राज्यवार केंद्रीय सहायता (राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	पीएमकेएसवाई - एआईबीपी	सीएडी और डब्ल्यूएम	एचकेकेपी-एसएमआई और आरआरआर	एचकेकेपी- जीडब्ल्यू
1	आंध्र प्रदेश	22.63	--	--	--
2	अरुणाचल प्रदेश	--	--	522.83	79.96
3	असम	41.98	4.00	1,043.82	439.65
4	बिहार	881.29	--	50.37	--
5	छत्तीसगढ़	49.62	6.87	--	--
6	गोवा	--	3.84	--	--
7	गुजरात	4,545.56	--	5.73	71.44
8	हिमाचल प्रदेश	1,914.5	--	489.45	--
9	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	39.71	1.87	166.17	--
10	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	2.98	--		--
11	झारखंड	756.73	--	--	--
12	कर्नाटक	1,190.05	18.10	67.56	--
13	केरल	--	2.69	--	--
14	मध्य प्रदेश	796.77	72.46	--	--
15	महाराष्ट्र	2,639.29	224.05	--	--
16	मणिपुर	270.90	9.82	195.25	54.40
17	मेघालय	--	--	300.49	--
18	मिजोरम	--	--	24.46	13.84
19	नागालैंड	--	--	239.60	16.25
20	ओडिशा	1,208.86	34.47	101.89	--
21	पंजाब	1,061.93	102.08	--	--
22	राजस्थान	822.75	145.64	31.72	--
23	सिक्किम	--	--	70.29	--
24	तमिलनाडु	34.74	--	117.99	5.35
25	तेलंगाना	981.49	--	--	--
26	त्रिपुरा	--	--	9.00	43.63
27	उत्तर प्रदेश	1,421.82	156.00	--	26.69
28	उत्तराखंड	676.64	--	221.97	13.72
	कुल	**19,360.24**	**781.89**	**3,699.2**	**764.89**

*****